न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०न० 58/17 तारीख रजू 29.8.17

उनवान — नन्दकिशोर बनाम मटरू वगैरह
~~[illegible]~~ मांचड़ी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 RTAct

प्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मांचड़ी के ख.न. 641/0.2, 642/0.48 है० भूमि की आगामी पेशी तक रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 8.9.17 को पेश हो। — 4627-31 / 1-9-17

(हस्ताक्षर)
जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

8.9.17

प्रार्थी वकील उप० । अप्रार्थी नं. 1 ता. 4 की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 5 बावजूद सूचना उप० नहीं हो उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पेश करने जवाब दि० 29.9.17 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्रमांक मु. नं. 58/17 तारीख रजू 29.8.17

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. नन्दकिशोर } पि० सामन्ता } जाति जाटव निवासी
2. पुखराज } मांचड़ी तहसील टोडाभीम
3. ज्ञानी पत्नि स्व. सामन्ता } जिला - करौली

बनाम (सायलान)

1. मटरू पुत्र रामधन
2. सोमोत्या } पि० मटरू } समस्त जाति मीना निवासी
3. भूरसिंह } जैसनी तहसील टोडाभीम
4. मानसिंह } जिला - करौली
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला - करौली

(गैर सायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट सायलान
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा } एडवोकेट - गैर सायलान
श्री सुरेश चन्द शर्मा }

निर्णय

दिनांक 11.10.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 02 ऐयर, 642 रकबा 48 ऐयर, 938 रकबा 14 ऐयर, 942 रकबा 21 ऐयर, 958 रकबा 93 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.78 है० स्थित ग्राम मांचड़ी तहसील टोडाभीम की भूमि सायलान के कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है जिसमे गैर सायलान एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। गैरसायलान चालाक किस्म के मीना जाति के व्यक्ति है जो आये दिन लट्ठ के बल पर गरीब

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

(लगातार)

Scanned by CamScanner

व कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। घटना दिनांक 18.8.2017 को सुबह करीब 8 बजे की है कि सायलान अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी ख.नं. 641, 642 में बोयी बाजरे की फसल की देखभाल कर रहे थे कि इतने में ही प्रतिसायल नं 1 ता.4 हाथों में लाठी, डण्डे लेकर आ गये और सायलान को धमकाने लगे कि तुम इस जमीन से अपना कब्जा छोड़कर यहाँ आना जाना छोड़ दो। हम इस जमीन पर लट्ठ के बल पर कब्जा कर फुख्ता निर्माण करायेंगे यदि तुम राजी खुशी नहीं माने तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। जिस पर सायलान ने प्रतिसायल नं. 1 ता.4 से काफी अनुनय विनय किया कि यह जमीन हमारे कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है, ऐसा अन्याय मत करो लेकिन गैर सायल अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे। जिस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्राइमाफेसी केश सायलान के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अत: प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रति सायल नं. 1 ता.4 आराजी खसरा नम्बर 641, 642 स्थित ग्राम मांचड़ी तहसील तोदाभीम पर जबरन कब्जा वा तो स्वयं करे नाहि किसी अन्य से करावे, गैरसायलान सायलान की उक्त आराजी से ना तो स्वयं बेदखल करे नाहि किसी अन्य से करावें। सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैरसायल नं. 5 बावजूद

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

(लगातार)

Scanned by CamScanner

में से 18×43 फीट भूमि मय निर्माण के दीन मोहम्मद को दि० 24.8.17 को विक्रय कर कब्जा करा दिया तथा उक्त भूमि मेसे ही 40×55 फीट भूमि लक्ष्मण व भरत ने दिनांक 14.8.2017 को विक्रय कर कब्जा करा दिया। वर्तमान मे यह भूमि कृषि के कार्य नहीं आ रही है आबादी एवं दुकानात बनी हुई है सायलान का कब्जा काश्त नहीं है विक्रय हुई भूमि की लिखावट के दस्तावेज प्रस्तुत किये। अन्त मे यह कथन किया कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जा के अभाव मे तथा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 641 व 642 ग्राम मांचरी की खातेदारी सायलान के नाम है किन्तु उक्त भूमि का कई बार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामों के आधार पर विक्रय हुआ है कब्जे का भी जांच का विषय है गहन विचार करते हुए सायलान एवं गैरसायलान को दावा के फैसला होने तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner